रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-04042022-234813
CG-MH-E-04042022-234813

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2022/ चैत्र 14, 1944
No. 178] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2022/ CHAITRA 14, 1944

भारतीय रिजर्व बैंक

(विनियमन विभाग)

केन्द्रीय कार्यालय

अधिसूचना

मुंबई, 17 मार्च, 2022

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियो के लिए निवल स्वाधिकृत निधि

अधिसूचना सं. विवि. सीआरई.060/मुमप्र (एमएम)-2022.—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) की धारा 45 आईए की उप धारा (1) के खंड (बी) और फ़ैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 (2012 का अधिनियम 12) की धारा 3 और 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में इसे सक्षम बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक 01 अक्तूबर 2022 से निम्नलिखित श्रेणी की सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार आरंभ करने अथवा जारी रखने के लिए अपेक्षित निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ़) दस करोड़ रुपये विनिर्दिष्ट करता है -

(क) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – निवेश और ऋण कंपनी (एनबीएफ़सी-आईसीसी)

(ख) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – सूक्ष्म वित्त कंपनी (एनबीएफ़सी-एमएफ़आई)

(ग) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – फैक्टर (एनबीएफ़सी-फ़ैक्टर)

बशर्ते कि, उपर्युक्त श्रेणियों में से 22 अक्तूबर 2021 तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र धारण करने वाली कोई ऐसी मौजूदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जिसकी निवल स्वाधिकृत निधि दस करोड़ रुपये से कम है, को निम्नलिखित लक्ष्य-क्रम के अनुसार 10 करोड़ रुपए का निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ़) प्राप्त करना होगा:—

एनबीएफ़सी	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2027 तक
एनबीएफ़सी-आईसीसी	₹5 करोड़	₹10 करोड़
एनबीएफ़सी-एमएफ़आई	₹7 करोड़	₹10 करोड़
देश के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में स्थित एनबीएफ़सी-एमएफ़आई	₹5 करोड़	₹10 करोड़
एनबीएफ़सी-फैक्टर	₹7 करोड़	₹10 करोड़

2. यहां प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में दिया गया है।

मनोरंजन मिश्र, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./717/2021-22]

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Regulation)

CENTRAL OFFICE

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th March, 2022

Net owned Fund for NBFCs

Notification No. DOR.CRE.060.CGM(MM) 2022.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (Act 2 of 1934) and by Section 3 and Section 4 of the Factoring Regulation Act, 2011 (Act 12 of 2012) and all the powers enabling it in that behalf, the Reserve Bank of India hereby specifies ten crore rupees as net owned fund (NOF) required for following categories of non-banking financial companies to commence or carry on the business of non-banking financial institution from October 01, 2022-

(a) Non-banking financial company – Investment and Credit Company (NBFC-ICC)

(b) Non-banking financial company – Micro Finance Institution (NBFC-MFI)

(c) Non-banking financial company – Factor (NBFC-Factor)

Provided that the above categories of existing non-banking financial companies holding a certificate of registration as on October 22, 2021 issued by the Reserve Bank of India and having net owned fund of less than ten crore rupees, shall achieve the NOF of ₹10 crore as per the following glide path:

NBFCs	By March 31, 2025	By March 31, 2027
NBFC-ICC	₹5 crore	₹10 crore
NBFC-MFI	₹7 crore	₹10 crore
NBFC-MFI in North Eastern Region of the country	₹5 crore	₹10 crore
NBFC-Factor	₹7 crore	₹10 crore

2. The words and expressions used herein shall have the same meaning as assigned to them in Master Direction - Non-Banking Financial Company - Systemically Important Non-Deposit taking Company and Deposit taking Company (Reserve Bank) Directions, 2016.

MANORANJAN MISHRA, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./717/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.04.04 15:48:22 +05'30'